

तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>यशपाल सिंह बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 255/2023</p>	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-04-24	<p>अपीलार्थी यशपाल सिंह कैयर ऑफ डा. जय सिंह राठौड़ निवासी नसरानी सिनेमा के पीछे, प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03/10/23 में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित डी.बी. सिविल सपेशल अपील संख्या 380/2010 में राजस्थान राज्य बनाम जेठूजी व अन्य में पारित स्थगन आदेश तथा वर्ष 2010 से पारित समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	